अध्याय 1

# राजनीतिक दल एवं दलीय व्यवस्था : राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल

-डॉ. रनजीत कुमार

भारत में अनोखी दलीय प्रणाली का विकास हुआ है जो इसकी विलक्षण राजनीतिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए लोकतंत्रीय व्यवस्था को जीवित रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है। राजनीति शब्द का नाम आते ही सर्वप्रथम लोगों के मन में जो दूसरा महत्त्वपूर्ण नाम आता है वह दल एवं दलीय व्यवस्था है। आज दलीय व्यवस्था लोकतंत्र के प्राण के रूप में विद्यमान है। लोकतंत्र के किसी भी रूप में दलीय व्यवस्था की अनुपस्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती है। आधुनिक लोकतंत्र के अनिवार्य अंग के रूप में दलीय व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार के गठन के पूर्व मतदाताओं में राजनीतिक चेतना जागृत करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रो. मुनरो का तो यहाँ तक कहना है कि लोकतंत्रीय शासन दलीय शासन का दूसरा नाम है। दलीय व्यवस्था के अभाव में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का क्रियान्वयन असंभव प्रतीत होता है। यह राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, सरल और सुगम बनाने का एक जरिया है। लोकतंत्र में राजनीति को एक अधिकार क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जो हर व्यक्ति को समानता के आधार पर उपलब्ध हो एवं उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। यह एक क्रियाकलाप है जो लोगों को शक्ति प्रदान करता है और शक्ति का साधन राजनीतिक दल होता है। इस व्यवस्था में राजनीतिक दलों की आपसी प्रतियोगिता पर आधारित बहुदलीय व्यवस्था ने सशक्त संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की है और इसे मजबूती प्रदान की है। राजनीतिक दलों का इतिहास बहुत पुराना है परन्तु प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका विकास सामाजिक-आर्थिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार हुआ है।

विद्वानों ने राजनीतिक दलों का विश्लेषण करते हुए इनकी अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया है। विभिन्न राजनीतिक विद्वानों ने इसकी अलग-अलग परिभाषाओं द्वारा मूल्यांकन किया है।

Scanned with CamScanner

गेटेल के अनुसार ''राजनीतिक दल पूर्ण या अपूर्ण रूप से संगठित उन नागरिकों का एक समूह होता है जो एक राजनीतिक संस्था की तरह कार्य करते हैं और जिनका उद्देश्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरकार पर नियंत्रण रखना एवं अपनी सामान्य नीति का सम्पादन करना है।''

मैकाइवर के अनुसार ''राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो और जो संवैधानिक उपायों से उस सिद्धांत या नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता है।''

गिल क्राइस्ट के अनुसार ''राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं, और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं।''

एडमंड बर्क के अनुसार ''मनुष्यों का एक ऐसा संगठित समुदाय है जो कुछ विशेष सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रहित को बढ़ावा देने का प्रयत्न करता है।''

दलीय व्यवस्था को समझने के लिए इसके आधारों तथा तत्त्वों को समझना आवश्यक है। दलीय व्यवस्था या राजनीतिक दलों का निर्माण विभिन्न तत्त्वों तथा आधारों से होता है। राजनीतिक दल का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य व्यक्ति एवं समाज के मनोविज्ञान को दर्शाता है। राजनीतिक दल किसी व्यक्ति या समाज की मन:स्थिति के द्वारा निर्मित होता है। व्यक्तियों का स्वभाव राजनीतिक दल के निर्माण में सहयोग देता है। इसके साथ-साथ वातावरण, धर्म, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था तथा नेतृत्व क्षमता राजनीतिक दल के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। इन आधारों को जोड़ने का काम विचारधारा करती है। विचारधारा ऐसे विचारों का समूह होता है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को संगठित होने के लिए प्रेरित करता है। लार्ड ब्राइस का मानना है कि व्यक्ति के किसी भी समुदाय में विभिन्न विचार पाये जाते हैं जो कुछ परस्पर विरोधी एवं कुछ समर्थक होते हैं। इन विचारों को जन्म देने वाला नेता तथा अन्य इसके समर्थक एवं अनुमोदक हो जाते हैं। इन्हीं संगठित विचारों के द्वारा राजनीतिक दल का उद्भव होता है। राजनीतिक दल के निर्माण में विभिन्न तत्त्वों का समावेश होता है, जिनमें प्रमुख हैं—संगठन, विचारों की एकता, संविधान में विश्वास, आदर्श एवं राष्ट्रीय हित की भावना। इन तत्त्वों के द्वारा राजनीतिक दल एक लम्बी अवधि के संगठन के रूप में काम करता है। इसके कार्यक्रम और नीतियां का देशव्यापी आधार होता है और दल राष्ट्रीय हित के लिए

Scanned with CamScanner

काम करता है। विश्व में विभिन्न विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल विद्यमान हैं। इनमें प्रमुख दो विचारधाराएं हैं–दक्षिणपंथी एवं वामपंथी। दक्षिणपंथी विचारधारा वाले राजनीतिक दल वे हैं जो रूढ़िवादी स्थिति को समर्थन देते हुए यथास्थिति की मांग करते हैं जबकि वामपंथी विचारधारा वाले राजनीतिक दल समाजवादी क्रांति द्वारा समाज के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को बदलना चाहते हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं।[1]

विश्व में दलीय व्यवस्था को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है जिसमें प्रमुख हैं एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था एवं बहुदलीय व्यवस्था। एलेन बाल ने संरचनात्मक एवं शक्ति को आधार लेकर दलीय व्यवस्था को विभिन्न वर्गों में बांटा है:

1. अस्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था
2. स्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था
3. कामचलाऊ बहुदलीय व्यवस्था
4. अस्थिर बहुदलीय व्यवस्था
5. प्रभुत्वसम्पन्न दलीय व्यवस्था
6. एकदलीय व्यवस्था
7. निरंकुश दलीय व्यवस्था

राजनीतिक दल लोकतंत्र के स्तम्भ के रूप में जनभावनाओं की रक्षा करते हैं। यह देश के नीति निर्धारण में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये दलीय प्रतियोगिता द्वारा शासन का संचालन करते हैं तथा विपक्षी दल के रूप में रचनात्मक, आलोचना के द्वारा शासकीय दल तथा देश के लोगों को सचेत करते हैं। यह राजनीतिक शिक्षा का जरिया होते हैं। राजनीतिक प्रचार द्वारा जनमानस को राजनीति की शिक्षा प्रदान करते हैं। इनके द्वारा शासन की नीतियों पर जनमत प्राप्त करना होता है। इनकी अनुपस्थिति में आधुनिक काल में लोग दिशाहीन प्रतीत होंगे। इसके साथ-साथ राजनीतिक दल लोगों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है। विपक्षी दल के रूप में सरकार की नीतियों का बहिष्कार एवं आलोचना कर नयी नीतियों का प्रस्तुतीकरण करना भी राजनीतिक दल का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। बीते दशकों में बदलते राज्य एवं समाज सम्बन्धों एवं राजनीति के स्वभाव में बदलाव ने राजनीतिक दल के कार्यों, प्रकृति, स्वरूप में बदलाव किया है। तकनीकी विकास ने भी इस संदर्भ में अपनी भूमिका निभायी है।

Scanned with CamScanner

## भारत में दलीय व्यवस्था का उदय एवं विकास

भारत की अनूठी दलीय व्यवस्था ने आजादी के इतने वर्षों के बाद भी संसदीय लोकतंत्र को न केवल जीवित रखा है बल्कि इसे दिन प्रतिदिन मजबूती प्रदान कर रही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में दलीय व्यवस्था की उत्पत्ति लोकतंत्रीय व्यवस्था का परिणाम नहीं है। यहाँ दलीय व्यवस्था का उदय औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हुआ। भारत में दलीय प्रणाली एक अभिन्न राजनीतिक केन्द्र से उत्पन्न हुई।[2] राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस राजनीतिक केन्द्र के भागीदार थे–राजनीतिक विशिष्ट वर्ग में शामिल थे - शिक्षित; शहरी खासकर मध्यम वर्ग एवं जाति के लोग। स्वतंत्रता के बाद यही दलीय व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय विकास के प्रतिमान के रूप में विकसित होती चली गयी। राष्ट्रीय आंदोलन तथा उपनिवेशवाद की पृष्ठभूमि तथा भारत की बहुलवादी सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण यहाँ दलीय व्यवस्था का स्वरूप भी बहुलवादी है। भारत में दलीय व्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले तत्त्वों में जहाँ एक ओर राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि और संसदीय लोकतंत्र की मांग थी वहीं दूसरी ओर विशाल सांस्कृतिक-धार्मिक अनेकता तथा सामाजिक पिछड़ेपन और उसमें परिवर्तन की मांग थी।[3] अतः भारत की दलीय पद्धति को न केवल एकदलीय, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था के संदर्भ में समझने की जरूरत है बल्कि इसके सामाजिक-आर्थिक तथा वैचारिक स्वरूप को भी समझना होगा। साथ ही विभिन्न दलों के कार्यक्षेत्रों एवं इसकी संस्था को भी ध्यान में रखना होगा। हालांकि व्यापक सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विभिन्नता के बावजूद भारतीय राजनीतिक दलों ने अपने विकास की लंबी दौड़ में संसदीय लोकतंत्र को एक नया आयाम दिया तथा भारतीय राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बरकरार रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

भारत में दलीय व्यवस्था उपनिवेशकाल में उपजे जनाक्रोश, जो न केवल राजनीतिक आजादी के लिए बल्कि नई सामाजिक व्यवस्था के लिए था, का परिणाम है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में अनेक राजनीतिक दलों जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और भारतीय जनसंघ की स्थापना हो चुकी थी। इन सभी दलों में सबसे संगठित एवं सभी वर्गों एवं जाति को समाहित करने वाला दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्गों का संस्थागत रूप था जिसने न केवल राष्ट्रीय आंदोलन की अभिव्यक्ति के रूप में बल्कि राजनीतिक व्यवस्था

Scanned with CamScanner

का स्वदेशी आधार तैयार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसी राजनीतिक केन्द्र का संस्थागत प्रकटीकरण था जो समय के बदलाव के साथ राजनीतिक व्यवस्था का आधार बना। समाज के बदलते स्वरूप के साथ राजनीतिक दलों की प्रकृति में बदलाव राज्य की परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय रूपरेखा का परिणाम है।[4] भारत में दलीय व्यवस्था की प्रकृति एवं स्वरूप को उसकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जातिगत, भौगोलिक, सांस्कृतिक बहुलता, तथा सामाजिक-राजनीतिक चेतना ने दलीय पद्धति को प्रभावित किया है। परम्परागत भारतीय समाज मूलतः अराजनीतिक था परन्तु राष्ट्रीय आंदोलन में व्यापक जनचेतना तथा स्वतंत्रोत्तर काल में उनकी समस्याओं खासकर गरीबी, भुखमरी, असमानताओं ने उन्हें व्यापक राजनीतिक भागीदारी की ओर आकर्षित किया जिसके परिणामस्वरूप एक सशक्त दलीय व्यवस्था का विकास हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के दो दशकों तक भारतीय दलीय प्रणाली एक प्रभुत्व वाली दलीय व्यवस्था को दृष्टिगोचर करती हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकाकी प्रभुत्व को दर्शाती है। अर्थात् इस व्यवस्था में कांग्रेस केन्द्रीय संस्था के रूप में विद्यमान थी। मोरिस जॉन्स इस व्यवस्था की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली एक दल के प्रभुत्व वाली व्यवस्था को दर्शाती है जहाँ कांग्रेस की वर्चस्वता कायम है। हालांकि स्वतंत्रता के समय तक भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों का उदय एवं विकास हुआ था। स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के सत्ता में आने से वह सभी वर्ग भी कांग्रेस से जुड़ने लगे जो राष्ट्रीय आंदोलन में उसके साथ नहीं थे। समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस का सहयोगी दल था उसे भी 1948 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने कांग्रेस से अलग कर दिया। आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी भी दो भागों में बंटकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आयी। सन् 1969 में कांग्रेस में विभाजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा दूसरा संगठन कांग्रेस के नाम से जाना गया। कांग्रेस और खासकर इन्दिरा गाँधी द्वारा लगायी गयी आपातस्थिति के बाद राजनीतिक दिग्गजों ने मिलकर जनता पार्टी की स्थापना की जिसका विघटन 1980 तक आते-आते तीन भागों में हो गया। ये तीन दल थे जनता पार्टी, लोकदल एवं भारतीय जनता पार्टी। चुनावों के परिणाम से उपजी निराशा में वी.पी. सिंह के नेतृत्व में जनता दल का गठन हुआ जो जनता पार्टी, लोकदल (A) तथा जनमोर्चा का विलय था। जनता दल एवं राष्ट्रीय मोर्चे के गठन से कांग्रेस को चुनौती मिली और विपक्षी दलों को एकजुट होने का मौका मिला। पुनः जनता दल के विभाजन के बाद राष्ट्रीय जनता दल, समता पार्टी का जन्म हुआ। बाद में समता पार्टी ने पुनः जनता दल के साथ विलय कर लिया। नये दल के रूप में

Scanned with CamScanner

बहुजन समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ। समय एवं परिस्थिति के बदलाव के साथ-साथ राजनीतिक दलों में भी बदलाव होता रहा है। आज भारत में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के रूप में अनेक राजनीतिक दल मौजूद हैं जिनमें प्रमुख हैं–कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, अकाली दल, डी.एम.के., ए.आई.डी.एम.के., जनता दल (यू) इत्यादि।[5]

## भारतीय राजनीतिक दल के अभिलक्षण

### *1. दलीय प्रणाली का एक दलीय प्रभुत्व काल (1947–1977)*

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही परम्परागत भारतीय राजनीतिक-आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आना प्रारम्भ हुआ। यह बदलाव राजनीतिक संस्थाओं में भी बदलाव लाया, साथ ही जन अपेक्षाएँ भी बदलीं। जनता को विश्वास हुआ कि स्वतंत्रता के साथ-साथ उसके दुखों का भी अंत होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न केवल औपनिवेशिक नीतियों की कड़ी आलोचना की बल्कि मुख्य समस्याओं पर वैकल्पिक नीतियों का सूत्रपात किया। फलस्वरूप इसे लगभग पूरे देश में तथा लगभग सभी वर्गों एवं समुदायों का समर्थन प्राप्त होने लगा। लगातार दो दशकों तक विचारधारा एवं क्षेत्रीय आधारों पर गठित अनेक दलों के बावजूद पूरे देश में कांग्रेस का एकाधिकार कायम रहा। दरअसल सम्पूर्ण नेहरू युग के दौरान इसका कोई विकल्प राजनीतिक क्षितिज पर मौजूद नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता और वारिस होने के नाते उन्हें व्यापक सम्मान और वैधता प्राप्त थी। इसकी पहुँच भी राष्ट्रीय थी और करीब-करीब इसका जनाधार–महानगरों से लेकर छोटे गाँवों तक फैला हुआ था और बड़े-बड़े पूंजीपतियों से लेकर गरीबों तक इसके समर्थक थे। इसने देश को स्थिर सरकार प्रदान की और कई दशकों तक भारत में जो राजनीतिक स्थिरता बनी रही उसमें कांग्रेस को सबसे महत्त्वपूर्ण कारक माना जा सकता है।[6] परिणामस्वरूप पहले एवं दूसरे आम चुनावों में कांग्रेस एवं अन्य दलों के प्राप्त मतों का अंतर बहुत अधिक था। अतः कहा जा सकता है कि कांग्रेस का प्रभुत्व उसकी असीम संगठन शक्ति तथा देश के प्रति समर्पण के कारण विशाल संख्या में सीटें जीतने की उसकी क्षमता द्वारा निर्धारित हुआ। रजनी कोठारी ने इस दलीय व्यवस्था को कांग्रेस व्यवस्था का नाम दिया।

**2. बहुदलीय व्यवस्था :** भारतीय दलीय व्यवस्था एक दल के प्रभुत्व के बावजूद बहुदलीय व्यवस्था का परिचायक थी। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व ही विभिन्न

Scanned with CamScanner

राजनीतिक दलों का उदय हो चुका था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया। भारत में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को मिलाकर लगभग चालीस या उससे अधिक दलों का उदय हो चुका है। एक दल के प्रभुत्व वाली स्थिति के बावजूद, आजादी के शुरुआती दिनों से राजनीति में प्रतिस्पर्धा का अभाव नहीं रहा है। विपक्षी दलों द्वारा हमेशा से सत्ताधारी कांग्रेस के लिए प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाये रखा था। सन् 1972 के बाद तो एक दलीय प्रभुत्व की लगभग समाप्ति हो चुकी थी। अब भारत में दलीय व्यवस्था की यह स्थिति है कि मतदाता बहुदलीय राजनीति से आगे बढ़कर गठबंधन की राजनीति को स्वीकार कर रहा है। रजनी कोठारी ने इस बात को स्वीकारते हुए कहा है कि भारतीय राजनीति में एक दल की प्रधानता का युग समाप्त हो चुका है और भारत में केन्द्र तथा राज्यस्तरीय एक दलीय व्यवस्था ने बहुदलीय व्यवस्था का रूप ले लिया है। किसी भी एक दल के लिए बहुमत प्राप्त करना या यूं कहें किसी एक गठबंधन के लिए बहुमत प्राप्त करना कठिन कार्य हो गया है।[7]

**3. अस्थिर बहुदलीय व्यवस्था :** भारत में एक दलीय प्रभुता के बावजूद कांग्रेस को कभी भी कुल मतों का पचास प्रतिशत से ज्यादा मत प्राप्त नहीं हुआ। लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होने तथा सामाजिक बदलाव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को सन् 1967 तक आते-आते समाप्त कर दिया। अंततः सन् 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी लेकिन जनता पार्टी की सरकार भी नहीं चल सकी। इसके पहले सन् 1967 के चुनावों में कांग्रेस को विभिन्न राज्यों में मुंह की खानी पड़ी परन्तु कोई अन्य दल भी कांग्रेस का विकल्प नहीं दे पाया। अस्थिर बहुदलीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण होता है सरकार की अस्थिरता। ऐसी व्यवस्था में राज्यों में सरकार केंद्रीय सहयोग से बनायी गयी जिससे सरकार अस्थिर होती है और उसका पतन जल्दी होने की संभावना होती है। जनता पार्टी के गठन से जो आशा बनी थी वह जनता पार्टी के विघटन से टूट गयी और सरकार का पतन हो गया। कांग्रेस का पुनः विभाजन हुआ और नई कांग्रेस (इ) का जन्म हुआ। हालांकि सन् 1980 में सम्पन्न मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस (इ) की जीत हुई परन्तु सन् 1989 तक भारत में अस्थिरता का माहौल बना रहा था। वैसे आजकल भी भारतीय राजनीति में अस्थिरता का माहौल बना रहता है लेकिन इस अस्थिरता के माहौल में विपक्ष हमेशा विकल्प के रूप में खड़ा रहता है।

**4. बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की राजनीति :** भारत में बढ़ती आकांक्षाओं ने दलीय आकांक्षाओं और महत्त्वाकांक्षाओं को जन्म दिया जिसके

Scanned with CamScanner

परिणामस्वरूप बड़े दलों का टूटना एवं नये दलों का गठन भारतीय राजनीति की पहचान बन गयी है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सत्ता की राजनीति पर अब बड़े और प्रमुख दलों का आधिपत्य नहीं रहा है। गठबंधन के शासन में छोटे दलों का महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप एक या दो बड़े दलों की कौन बात करे इस व्यवस्था में अनेक राजनीतिक दल सत्ता की भागीदारी में हिस्सा लेते हैं। गठबंधन की राजनीति ने दलों को ध्रुवीकरण की ओर प्रवृत्त किया है। लगभग 18 राज्य या क्षेत्रीय दलों द्वारा राज्यों एवं केन्द्र की सरकार में हिस्सेदारी है। कुछ राज्य जैसे-गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दल सत्ता में हैं। यह भारतीय दलीय व्यवस्था को बदल रहा है। तीन बड़े बदलाव जैसे–कांग्रेस के पतन, भारतीय जनता पार्टी के उदय, क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव ने अल्पसंख्यक एवं गठबंधन की सरकार बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।[8] राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ बहुदलीय प्रणाली दिखायी देती है वहीं राज्य स्तर पर अलग स्थिति है। यहाँ द्विदलीय व्यवस्था का आभास होता है। ऐसा लगता है कि यह बहुल द्विध्रुवीयता की स्थिति को दर्शाता है।[9] आमतौर पर राज्यों में द्विध्रुवीय राजनीति को देखा जा सकता है। इस तरह भारत में बहुदलीय व्यवस्था में ध्रुवीकरण के कारण गठबंधन की सरकार और राजनीति लगभग एक स्थायी विशेषता बन–सी गयी है।

**5. व्यक्तित्व/नेतृत्व पर आधारित दलीय व्यवस्था :** आमतौर पर भारतीय राजनीति में व्यक्तित्व का आकर्षण बहुत ही ज्यादा है। इसलिए भारतीय दलीय व्यवस्था वैयक्तिक नेतृत्व पर आधारित है। प्रमुख दलों में सामान्यत: व्यक्ति की सर्वोच्चता है। कांग्रेस के शुरुआती दिनों में जवाहर लाल नेहरू, इन्दिरा गाँधी उसके बाद राजीव गाँधी और सोनिया गाँधी एवं राहुल गाँधी की व्यक्तिगत प्रधानता दिखती है। उसी तरह कुछ दूसरे दलों में भी ये व्यक्तिगत करिश्मा तथा व्यक्तिगत सर्वोच्चता देखने को मिलती है। जयललिता, करुणानिधि, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती इत्यादि अपने दल के पर्याय हैं।

**6. स्पष्ट विचारधारा की कमी एवं जाति एवं धर्म का बोलवाला :** भारतीय समाज में जाति एवं धर्म एक आदिकालीन वास्तविकता है जिसकी स्पष्ट झलक राजनीतिक परिदृश्य में दिखायी देती है। चुनावों में टिकट बंटवारे से लेकर जनसंख्या को धार्मिक एवं जातिगत आधार पर बांटकर क्षेत्र का बंटवारा किया जाता है, जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से मुस्लिम उम्मीदवार ही हो। हिन्दू जाति व्यवस्था के

Scanned with CamScanner

अनुसार जिस जाति की जनसंख्या अधिक होगी उस क्षेत्र में उसी जाति के उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार बनाये जाने की संभावना होती है। चुनावों के दौरान सांप्रदायिक भावनाओं को उभारकर अपने पक्ष में मत की अपेक्षा की जाती है। रजनी कोठारी ने भी भारतीय राजनीति के परिदृश्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जाति भारतीय राजनीति का मुख्य अभिलक्षण है। अनेक दलों का उदय साम्प्रदायिक आधार पर हुआ है। इनमें प्रमुख अकाली दल, ए.आइ.डी.एम.के., डी.एम.के., मुस्लिम लीग, इत्यादि हैं।

भारतीय राजनीतिक दलों की विचारधाराओं में स्पष्टता नहीं है। अब राजनीति में विचारधारा की जगह धर्म, जाति, भाषा तथा दूसरे ऐसे तत्व शामिल होते जा रहे हैं जो त्वरित लाभ की ओर ले जाता है जिससे किसी राजनीतिक दल को त्वरित लाभ मिलता है। अब विचारधारा एक गुलदस्ते में लगे सुगन्धित फूल की तरह होता है जो एक दिखावा मात्र है। आज भारत में कितने ही राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए साम्प्रदायिकता को व्यावहारिकता में उपयोग करते हैं। समाजवाद का नारा लगाने वाले दल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीवादियों से हाथ मिला रहे हैं। उदारवादी व्यवस्था के नाम पर समाजवाद का राग अलापते हैं। गठबंधन की राजनीति ने तो वैचारिक नीति को लगभग तिलांजलि दे दी है। जो दल चुनाव पूर्व दूसरे दल का वैचारिक रूप से कट्टर विरोधी होता है, चुनाव परिणाम के बाद उसका वैचारिक विरोध सामंजस्यता में बदल जाता है और दोनों एक-दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं। मतदाता ठगा सा उन दोनों दलों के मुँह को निहारता हुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करता है जहाँ कहा जाता है लोकतंत्र में सब जायज है। कहा जाता है कि गठबंधन की राजनीति तो सत्ता की प्राप्ति का रास्ता है तो इस स्थिति में कहीं न कहीं विचारधारा की बलि चढ़ेगी। अत: भारतीय राजनीतिक दलों में विचारधारा की अस्पष्टता झलकती है।

**7. क्षेत्रीय दलों का विकसित होना :** भारत में क्षेत्रीयता के कारण क्षेत्रीय आधार पर दलों का निर्माण हुआ है और लगातार होता जा रहा है। इन दलों का राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा लेना-देना नहीं होता है। ये केवल क्षेत्रीय मुद्दों को तरजीह देते हैं। कुछ राज्यों में तो अखिल भारतीय राजनीतिक दल का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। क्षेत्रीय दल उस दल को कहते हैं जिनका लक्ष्य और कार्यक्रम किसी एक राज्य अथवा राज्य के कुछ क्षेत्रों तक सीमित होता है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसी दल को क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल उसके द्वारा लाये मतदान के प्रतिशत से लगाया जाता है। भारत विभिन्न राज्यों में जैसे-पंजाब में अकाली दल, तमिलनाडु में

Scanned with CamScanner

डी.एम.के., ए.आइ.डी.एम.के., असम में असम गण परिषद इत्यादि क्षेत्रीय पार्टी काफी मजबूत स्थिति में विद्यमान हैं। आजकल के गठबंधन की राजनीति में इनकी स्थिति बहुत सुदृढ़ हो चुकी है।

**8. दल-बदल की राजनीति :** जहाँ भारतीय दलीय व्यवस्था में वैचारिक मूल्यों का ह्रास हुआ है वहीं दल-बदलुओं की संख्या बढ़ती दिखायी देती है। भारतीय दलीय व्यवस्था में विचारहीनता, अनुशासनहीनता, संगठनहीनता, मूल्यहीनता ने जगह ले ली है जिसके परिणामस्वरूप अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यक्ति द्वारा दल का विभाजन हो रहा है। आन्तरिक गुटबंदी के कारण दल का विभाजन हो रहा है। सन् 1967 के बाद से दल बदल की प्रवृत्ति देखी गयी और परिणाम कितने ही सरकारों का पतन हुआ। 1985 एवं 2003 के संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून के द्वारा कुछ हद तक इस दल-बदल को रोका जा सका है। दल-बदल की राजनीति ने भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया।

## राजनीतिक दलों का स्वरूप

भारतीय दलीय व्यवस्था का भारत की विशाल जनसंख्या, सामाजिक विभिन्नता, क्षेत्रीय विभिन्नता एवं भाषाई विभिन्नता के कारण एक अनूठे रूप में उदय हुआ है। भारत में अनेकों दल पाये जाते हैं। सभी दल वैचारिक दृष्टिकोण एवं संगठनात्मक दृष्टिकोण से अलग-अलग रूप में विद्यमान है। भारतीय राजनीतिक दलों को कार्य क्षेत्र के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। राष्ट्रीय दल एवं क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल उन दलों को कहा जाता है जिसे भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का मान्यता दिया जाता है। राष्ट्रीय दल का आधार है कि अगर किसी दल को लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव में 4 राज्यों में पड़े वैध मतदान का छः प्रतिशत प्राप्त होता है और चार या अधिक राज्यों के लोक सभा के मतदान में 4 सीटों पर कब्जा करता तो आयोग उसे राष्ट्रीय दल घोषित कर सकता है। ठीक उसी तरह किसी दल द्वारा किसी भी राज्य के चुनाव में छः प्रतिशत मत प्राप्त करे तथा उस विधान सभा में उसे दो सीटों की प्राप्ति हो तो चुनाव आयोग उसे क्षेत्रीय दल घोषित कर सकता है। इसके अलावा अगर दल तीन प्रतिशत सीटों को प्राप्त करता है तब भी क्षेत्रीय दल घोषित कर सकता है। भारत में कार्य शैली तथा चुनाव आयोग द्वारा दी गयी मान्यताओं के आधार पर दलों को दो भागों में बांटा गया है:

राष्ट्रीय दल (National Party)
क्षेत्रीय दल (Regional Party)

Scanned with CamScanner